

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी।

14.12.2024—

उक्त वाद का निस्तारण किया जा चुका है। आदेश भिन्न फलक पर टंकित है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कौशाम्बी।